चित्रकूट-पुलिस

(1). कोतवाली कर्वी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने जल जीवन मिशन की पाइप चोरी की घटना का किया सफल अनावरण 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 100 पाइप, डीसीएम गाडी व कार बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी पुलिस एवं एसओजी चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली कर्वी अन्तर्गत हुयी जल जीवन मिशन के पाइप चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तों को चोरी के 100 पाइप, घटना में प्रयुक्त 01 डीसीएम गाडी व 01 कार के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.अजय सिंह उर्फ छोटू पुत्र स्व0 राकेश सिंह निवासी गुदरौली थाना औंग, जनपद फतेहपुर उम्र 24 वर्ष
2.महेन्द्र यादव पुत्र सत्यवीर यादव निवासी अहिमा थाना महराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष
3.कमल कुशवाहा पुत्र रामविलाश कुशवाहा नि0 बड़ागाव थाना महराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 22 वर्ष

बरामदगीः-

(1).चोरी के 100 पाइप कास्ट आयरन लोहा (जल जीवन मिशन से सम्बन्धित) कीमत 12 लाख रुपये
(2).डीसीएम गाड़ी रजि0 नं0 UP-78-DT-9760
(3).इनोवा कार रजि0 नं0 UP-78-BW-1990

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे अण्डर पास वहद थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट **दिनाँक** 26.06.2024 **समय** 20.41 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 07.06.2024 को वादी श्री संतोष कुमार द्विवेदी पुत्र रामलखन द्विवेदी निवासी जगदीशगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि वह भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइल लाइन बिछाने का कार्य करते हैं, राणन तालाब के पीछे पाइप रखे हुये थे जिन्हे अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिये है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 372/24 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं प्रभारी एसओजी/सर्विलांस को निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं प्रभारी एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये परम्परागत

श्रोंतों के आधार पर दिनांक 26.06.2024 की रात्रि 20.41 बजे थाना भरतकूप अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे अण्डर पास से डीसीएम गाड़ी रजि0 नं0 UP-78-DT-9760 में लदे हुये 100 पाइप कास्ट आयरन लोहा (कीमत 12 लाख रुपये) तथा इनोवा कार रजि0 नं0 UP-78-BW-1990 के साथ अभियुक्त 1.अजय सिंह उर्फ छोटू पुत्र स्व0 राकेश सिंह निवासी गुदरौली थाना औंग, जनपद फतेहपुर उम्र 24 वर्ष 2.महेन्द्र यादव पुत्र सत्यवीर यादव निवासी अहिमा थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष 3.कमल कुशवाहा पुत्र रामविलाश कुशवाहा नि0 बड़ागाव थाना महराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने कड़ी पूंछतांछ में बताया कि हम लोग अपने तीन अन्य साथियों के साथ इसी इनोवा कार से रैकी किये तथा योजना बनाकर राणन तालाब से इसी डीसीएम में पाइप लादकर चोरी कर लिये थे तथा भरतकूप मंदिर के आगे पहाड़ के नीचे जंगल में छिपा दिये थे। आज बेंचने के लिये ग्राहक की तलाश में ले जा रहे थे। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के पाइप बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411,414 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। घटना में प्रयोग किये गये डीसीएम वाहन तथा इनोवा कार को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कर्वी टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
2.उ0नि0 श्री राजीव सिंह
3.उ0नि0 श्री राहुल सिंह
4.आरक्षी राहुल देव
5.आरक्षी आदित्य कुमार

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीमः-

1.प्रभारी एसओजी/सर्विलांस श्री एमपी त्रिपाठी
2.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3.आरक्षी रोशन सिंह
4.आरक्षी रोहित सिंह
5. आरक्षी आशीष यादव
6. आरक्षी गोलू भार्गव
7. आरक्षी राघवेन्द्र
8.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102

स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(3). आज दिनाँक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री विनोद कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव तथा उनकी टीम द्वारा महिला के साथ दुराचार के आरोपी अभियुक्त शिवम नामदेव पुत्र मिस्त्रीलाल निवासी मानिकपुर जनपद चित्रकूट को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि कल दिनाँक 26.06.2024 को थाना मानिकपुर में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया कि झर्री फाटक के शिवम नामदेव उपरोक्त ने उनके साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर थाना मानकिपुर में मु0अ0सं0 120/24 धारा 376 भादवि बनाम शिवम नामदेव उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा घटना के संज्ञान लेकर निरीक्षक अपराध को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया। निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवम नामदेव उपरोक्त को मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP96N2053 हीरो सीडी डीलक्स के साथ गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल के कागजात न होने पर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

बरामदगीः-

मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP96N2053 हीरो सीडी डीलक्स

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1 अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ सिंह यादव

2.मुख्य आरक्षी संतोष कुमार

3.आरक्षी लोकेन्द्र

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री कृपानंद शर्मा तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 189/2024 धारा 323,504,506,354 भादवि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त अरविंद कुमार पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी ग्राम ताड़ी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री कृपानंद शर्मा थाना मऊ

2.आरक्षी सोनपाल

(6). जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी०एन० की अध्यक्षता में व पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था अभियोजन व रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, नशीले पदार्थ की खेती एवं मादक पदार्थों की अवैध व्यापार पर रोक के लिए बैठक सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अभियोजन एवं कानून व्यवस्था में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, गिरोह बंद अधिनियम, महिलाओं और नाबलिकों के विरुद्ध अपराध, पास्को एक्ट, अपहरण, आईपीसी, सत्र न्यायालय, अन्य अधिनियम, संमन व तमिला गवाहों की उपस्थिति आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जो पुराने मुकदमें में सजा दिला दिया गया है उसे लिस्ट से हटाए। उन्होंने फर्जी मुकदमे लिखवाने वालों के प्रति कड़ाई से निपटे कहा कि किसी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा न लिखा जाए।थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि गैंगस्टर एक्ट में इतनी दहशत होनी चाहिए कि अपराधी स्वयं आकर सेरेन्डर करें। महिलाओं व नाबालिकों के अपराध के संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें कमी आनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के अंतर्गत जधन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को योजना से संबंधित 9 धाराओं, धारा 326 क, धारा 304 क, धारा 376 क, धारा 376 ग, 376 घर, धारा 4 पास्को धारा 6 पास्को, धारा 14 पास्को एवं धारा 302 के साथ पठित पास्कों की धारा 4 या धारा 6 की पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जनपद चित्रकूट में वर्तमान समय तक कुल तीस लाभार्थियों के खाते में धनराशि प्रेषित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो कमेटी बनाई गई है व छतीपूर्ति अवशेष है उसमें कमेटी से संमन्वय बनाकर जल्द से जल्द निस्तारण कराएं।उन्होंने कहा कि जो समस्या आ रही है उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता कर इसका भी निस्तारण कराएं।

उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा केंद्र के निर्धारण के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि दूरियां अधिक होने की स्थिति में जनपद के शहर में चार केंद्र निर्धारण किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्ही विद्यालयों को

चिन्हित करें जिसे रेपुटेशन अच्छी हो उन्होंने कहा कि राधा सेठ पोद्दार इंटर कॉलेज, व श्री जगत रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को मानक के उपयुक्त पाए जाने की पश्चात प्रस्ताव बनाकर भेजें। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा सुचिता पूर्ण होनी चाहिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध टैक्सी स्टैंड पर वसूली नहीं होनी चाहिए जो चिन्हित स्थल है वहीं पर स्टैंड बनाएं । उन्होंने कहा कि ए आर एम रोडवेज, पुलिस क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी, यातायात प्रभारी समन्वय बनाकर अभियान चलाकर एक हफ्ते के अंदर बस स्टैंड व टेंपो स्टैंड को हटाए उन्होंने कहा की जगह-जगह बस व टेंपो के किराया सूची का रेट भी लिखवाये। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो स्पाट चिन्हित किए गए हैं उस पर ब्रेकर, शाइनिंग बोर्ड लगवाए एवं जहां पर लगाए गए हैं उसकी सूची प्रेषित करें।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स तथा अवैध शराब की बिक्री, निर्माण अथवा संचय नहीं होने हेतु पुलिस विभाग, आबकारी विभाग तथा ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये कि जनपद में कहीं भी अवैध नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स आदि की धरपकड़ हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गये। जनपद के स्कूल, कॉलेज आदि शैक्षिक संस्थानों में युवा पीढ़ी को नशे की लत नहीं लगने पाए इस हेतु हर संभव प्रयास किया जायें तथा समय- समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसमें विशेष प्रयास किए जायें।   जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिला अधिकारी न्यायिक श्री राजेश प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिला अधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, राजापुर प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर पंकज वर्मा, उप जिला अधिकारी सतीश चंद्र, मोहम्मद जसीम अहमद, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश त्रिपाठी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा, सहित शासकीय अधिवक्ता व अधिकारी उपस्थित थे।